न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद अधीन धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट वास्ते खेताय बंटवाड़ा एवं खातेदा़री घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या :– 04/2017

वादी	प्रतिवादीगण
मंगलाराम पुत्र लालूराम जाति मेघवाल निवासी कालड़ी तहसील व जिला नागौर	1. मोतीराम पुत्र लालूराम 2. हड़मान पुत्र लालूराम 3. गोपाराम उर्फ गोपालराम पुत्र लालूराम 4. नरसीराम पुत्र जोराराम 5. अणदाराम पुत्र जोराराम जातियान मेघवाल निवासी कालड़ी तहसील व जिला नागौर 6. सरकार जरिये तहसीलदारजी नागौर

वकील वादी
श्री बाबूलाल खोजा

वकील प्रतिवादीगण
श्री मामराज गुणपाल

निर्णय

दिनांक :– 17.03.2021

क– वादी ने वाद पेश किया कि:–

1. यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्यगण है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सगे भाई है व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 दोनों आपस में सगे भाई है।
2. यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त के खेताय खसरा नम्बर 95 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 96 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 98 रकबा 119 बीघाा 11 बिस्वा वाके मौजा कालडी में स्थित है। जिस खेताय को पूर्व में 1/2 हिस्से में खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्वर्गीय श्री लालूराम के नाम दर्ज थी और 1/2 हिस्सा की खातेदारी नरसीराम के नाम दर्ज थी तथा वादग्रस्त भूमि का लालूराम के जीवन काल में ही बंट हो गया था तथा वादग्रस्त भूमि का कुल रकबा 160 बीघा 5 बिस्वा है जिसमें से 100 बीघा भूमि लालूराम के व उसके बाद उसके वारिसान के बंट व कब्जा काश्त में रहती चली आयी थी। बाकी शेष 60 बीघा भूमि नरसीराम व अणदाराम के हिस्से व बंट में रखी गई थी। रकबा 60 बीघा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 अणदाराम का बंट व कब्जा काश्त था और उसी बंटवाडा के माफिक अलग अलग काबिज काश्तकार रहते चले आये थे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उक्त बंटवाडा के माफिक काबिज काश्त थे लेकिन रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से व बंट व कब्जा भिन्न खातेदारी दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच में आपस में वादग्रस्त भूमि के बंटवाडा को लेकर विवाद हो गया था और प्रतिवादी संख्या 4 नरसीराम ने रेकर्ड में दर्ज खातेदारी के माफिक हक व अधिकार जताना शुरू कर दिया जिससे आपस में विवाद हुआ था तब वादी एवं प्रतिवादीगण को मौजिज

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

व्यक्तियों ने समझाइस की और भविष्य में विवाद नहीं होने के लिए तथा विवाद को खत्म करने के लिए मौके पर बंटवाडा के माफिक वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से 100/– रूपये के स्टामप पर लिखापढ़ी की थी तथा उक्त लिखापढ़ी आपसी सहमति से दिनांक 27.12.2011 को कर नोटेरी पब्लिक नागौर से तस्दीक करवायी गई थी जिस बंटवाडे में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक के बंट में वादग्रस्त भूमि में से 25–25 बीघा भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी गई और वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 अणदाराम का नाम रेकर्ड में दर्ज न हीं होने से प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने बंट की 60 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 98 में से अणदाराम के पक्ष में बख्शीशनामा निष्पादित कर बख्शीशनामा का पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया जिस बख्शीशनामा के माफिक अणदाराम के खातेदारी दर्ज हुई।,

3. यह है कि, स्वर्गीय श्री लालूराम के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अलावा वारिसान मिरगा, पूरा, सुगना, हरिराम, ओमी व अमली ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में तर्क कर दिया व तर्कनामा का पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया गया और मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया जिस तर्कनामा के माफिक नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया तथा लालूराम के वारिसान संदीप व शांति पिसरान दूली ने अपना निहित सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर तर्कनामा का विधिवत रूप से पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया गया और कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया गया व नामान्तरकरण भी वादी के पक्ष में स्वीकृत हो गया तथा खसरा नम्बर 96 में से प्रतिवादी संख्या 4 नरसीराम ने अपना निहित सम्पूर्ण हिस्सा अपनी घरेलू जायज जरूरत हेतु दिनांक 9.1.2012 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में बेचान कर दिया गया व बेचान की सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाकर कब्जा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सौप दिया गया और उसी के माफिक आज दिन अलग अलग काबिज काश्तकार रहते चले आये है।

4. यह है कि, वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अलग अलग काबिज काश्तकार है जो बन्टवाडा इस प्रकार है–

(1) यह है कि वादी के बंट में खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 119 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 29 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के बंट में रख गया है। जिसमें वादी की रहवासी ढाणी व टांका वगैरा बने हुए है। खसरा नम्बर 96 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा में से 5 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के बंट में रखा गया है। तथा कानूनी रूप से भी वादी का 34 बीधा भूमि पर हक हिस्सा व अधिकार बनता है।

(2) यह है कि, खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 119 बीघा 11 बिस्वा का शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के बंट व कब्जा काश्त में रखा गया है व खसरा नम्बर 95 प्रतिवादी गोपाल के बंट में व खसरा नम्बर 96 का शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट व कब्जा काश्त में रखा गया है व खसरा नम्बर 97 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट में रखा गया है।

तथा वादी उपरोक्त बंटवाडा के माफिक काबिज काश्तकार रहता चला आया है तथा वादी उपरोक्त बंटवाडा के माफिक अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

करवाकर अपने नाम से अलग से खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है।

5. यह है कि, वादगस्त भूमि प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादी को अनेक प्रकार की बाधाओ का सामना करना पड रहा है तथा अपने निहित हक व अधिकारो व बंटसुदा भूमि का अपनी इच्छा के माफिक उपयोग व उपभोग करने से वंचित रहना पड रहा है और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रहेना पड़ रहा है तब वादी के प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये और वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण आदि करने की व वादी को मौके से बेदखल कर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करने की धमकिया देनी शुरू करदी और बंटवाडा करने से इंकार कर दिया जिससे वादी के हक व अधिकारों पर खतरा पैदा हो जाने से वादी को यह वाद पेश करना लाजमी हुआ है।
6. यह है कि, वादग्रस्त भूमि का वादी रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है अगर प्रतिवादीगण अपने गलत मन्सुबे में सफल हो जाते है तो वादी को अपने निहित हिस्से से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ेगा व अनेक प्रकार का वाद विवादो का सामना करना पडेगा ऐसी स्थिति में वादी को भारी क्षति व असुविधा होगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि वादी के कब्जा काश्त में व हक अधिकारों में किसी तरह की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य से करावे।
7. यह है कि, वाद हेतुक तब पैदा हुआ कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का अलग कब्जा काश्त होने से व वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादी को अनेक प्रकार की बाधाा उत्पन्न होने से वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करवाने से इंकार करते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने व मौके से बेदखल करने की धमकियां देने से वाद बमुकाम कालडी तहसील नागौर जिला नागौर में पैदा हुआ है।
8. यह है कि , वादग्रस्त भूमि का भूमिधारी तहसीलदार नागौर होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।
9. यह है कि, वादग्रस्त भूमि ग्राम कालडी तहसील नागौर में होने से वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।
10. यह है कि, वास्ते खातेदारी घोषणा 1 /– रूपया वास्ते बन्टवाडा 1 /– रूपया वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा 1/– कुल 3 /– रूपये के स्टाम्प वाद पत्र के साथ पेश है।
11. यह है कि, अनुतोष बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के इस कदर फरमायी जावे–

(1) यह है कि खसरा नम्बर 98 रकबा 119 बीघा 11 बिस्वा में से 29 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा व खसरा नम्बर 96 रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा में से 5 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के बंट व खातेदारी में घोषित की जावे।

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

(2) यह है कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के बंट व कब्जा काश्त व हिस्से में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं करे।

(3) यह है कि, राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार जी नागौर को तहरीर जारी करावे।

(4) यह है कि अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ वादी हो वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

ख– दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई–

ग– प्रतिवादी सं. 3 ने दिनांक 20.08.18 को अपना इकबालियां जबाव दावा जरिये अधिवक्ता पेश किया।

दिनांक 20.08.2018 को ही प्रतिवादी संख्या 1. (मोतीराम) 2.(हड़मानराम) 4. (नरसीराम) व 5. (अणदाराम) ने भी इकबालिया जबाव दावा अपने अभिवक्ता के जरिये पेश किया गया।

घ– वादी मंगलाराम पुत्र लालूराम ने अपना शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के दिनांक 18.12.2018 को पेश किया तथा दिनांक 18.01.2019 को बयान गवाह निम्नानुसार दर्ज करवाये गये–

(P.W.-1) गवाह ने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ–पत्र पेश कर रखा है जिसको सही होना स्वीकार किया व अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। वाद के साथ नकल खतौनी खसरा नम्बर 95, 96 मौजा कालडी के पेश कर रखी है जो प्रदर्श–1 है। नकल खतौनी खसरा नम्बर 97 व 98 मौजा कालडी की पेश की हुई है जो प्रदर्श–2 है। बेचाननामा की फोटोप्रति प्रदर्श–3 है। असल प्रदर्श–3 A है। बंटवाड़ा की लिखा पढ़ी दिनांक 27.12.11 की 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर करवाई गई जो लिखा पढ़ी वादग्रस्त खेताय के बंटवाड़े की आपसी सहमति की लिखा पढ़ी है जिस लिखा पढ़ी की फोटोप्रति प्रदर्श–4 है। असल प्रदर्श–4 A है। दिनांक 21.05.15 को शांति ने अपना हक मेरे पक्ष में तर्क कर तर्कनामा का पंजीयन मेरे पक्ष में करवाया गया जो तर्कनामा की फोटूप्रति प्रदर्श–5 है। असल प्रदर्श–5 A है। संदीप ने अपना हक मेरे पक्ष में तर्क कर तर्कनामा पंजीयन करवाया गया जो तर्कनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–6 है असल प्रदर्श–6 A है व दिनांक 05.09.2013 को संदीप ने ख.न. 97,98 में से अपना हक मेरे पक्ष में तर्ककर तर्कनामा पंजीयन करवाया गया जिस तर्कनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–7 है असल प्रदर्श–7 A है व दिनांक 31.07.13 को वादी व प्रतिवादी मोतीराम, हड़मान, गोपाराम के पक्ष में पुरा वगैरह ने अपना हक तर्क कर तर्कनामा पंजीयन करवाया गया जिस तर्कनामे की फोटोप्रति प्रदर्श–8 है असल प्रदर्श–8 A है दिनांक 31.07.13 को ख.न. 97, 98 में से पुरा वगैरह ने अपना हक तर्क पर हक तर्कनामा का पंजीयन कराया गया जो तर्कनामा प्रदर्श–9 है असल प्रदर्श–9 A है।

दिनांक 18.01.19 को ही वादी के गवाह मोहनराम पुत्र बालुराम जाट उम्र 65 वर्ष निवासी कालड़ी तहसील नागौर जिला नागौर के बयान निम्नानुसार दर्ज कराये गये "मै वादी व प्रतिवादी को जानता हूँ तथा इनके खेतो व बंट की भी जानकारी है। इनके खेत मेरे खेत व ढाणी से पश्चिमी दिशा में आये हुए है तथा

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

इन खेत पर मेरा आना जाना रहता है इसलिए खेतों व बंट की मेरे को जानकारी है तथा जो खेत करीब 119 बीघा है उसमें वादी मंगलाराम के बंट में 29–00 बीघा पूर्वी तरफ का आया हुआ है जो खेत करीब 40–00 बीघा वाला है उसमें से 5–00 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा मंगलाराम के बंट व कब्जा काश्त की है। शेष रकबे पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है मंगलाराम के बंट की भूमि में मंगलाराम की रहवासी ढाणियां बनी है व मौके पर माठे सीमा बनी हुई है।"

दिनांक 03.03.2021 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई वकील वादी ने इस्तदुआ के अनुसार वादी के पक्ष में अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने इकबालिया जबाव पेश किया है। वकील प्रतिवादी ने कहा कि शेष भूमि का प्रतिवादीगण के हक हिस्से व कब्जे अनुसार दर्ज की जावें।

अतः इस्तदुआ वादी स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी का ग्राम कालडी के ख.न. 98 रकबा 119–11 बीघा में से 29–00 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा व ख.न. 96 रकबा 40–05 बीघा में से 5–00 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा अलग–अलग किया जाकर अलग से नये ख.न. व रकबा सृजित किये जावें तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में निम्नानुसार दर्ज की जावे–

क्र.स.	ख.न.	रकबा	नाम सहखातेदार
1	95 पूरा	0–04 बीघा	मोतीराम 1/3 हिस्सा, हड़मानराम 1/3 हिस्सा, गोपाराम उर्फ गोपालराम 1/3 हिस्सा कौम मेघवाल सा. कालडी
2	96 में से	35–05 बीघा	
	कुल रकबा	35–09 बीघा	
3.	97	0–05 बीघा	मोतीराम 1/6 हिस्सा, हड़मानराम 1/6 हिस्सा, गोपाराम उर्फ गोपालराम 1/6 हिस्सा, नरसीराम 1/2 हिस्सा कौम मेघवाल सा. कालडी
4.	98 में से	90–11 बीघा	मेतीराम 337/1811 हिस्सा, हड़मानराम 337/1811 हिस्सा, गोपाराम उर्फ गोपालराम 337/1811 हिस्सा, नरसीराम 200/1811 हिस्सा, अणदाराम 600/1811 हिस्सा कौम मेघवाल सा. कालडी

उक्त अनुसार डिक्री तथा तहसीलदार नागौर के नाम तेहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर